कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail :eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 668 /7 सी0 दिनांक 19 अप्रैल 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्ततन (प्रस्ताव सं0 37890/2018)**

संदर्भः **भारत सरकार का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/987 दिनॉक 12.10.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इंगित की गयी कमियॉ का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण	
1	इस कार्यालय में समंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2022 में उल्लेखित बिन्दु सं0 1 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यदि गांव 'Dau' को Kutchha रोड के माध्यम से और 'Lohaghat Devidhura& Almora' रोड के माध्यम से 'Shaharfatak' से जोड़ा जाता है, तो दूरी 30 कि०मी० होगी, जोकि उचित नहीं है। इस संरेखण में यह दूरी 10 कि०मी० होगी तथा उपरोक्त संरेखण द्वारा वृक्षों के पातन एवं वन भूमि की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है। अतः राज्य सराकर से अनुरोध है कि प्रस्तावित संरेखण तथा उपरोक्त संरेखण का उचित तुलनात्मक विश्लेषण कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	1. प्रस्तावित संरेखण से मुख्यालय पहुॅचने हेतु दूरी 5 कि0मी0 कम होगी। 2. 7 मी0 चौड़ाई में कुल 645 वृक्षों का पातन किया जाना है। 3. मार्ग की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार मार्ग का प्रारम्भिक संरेखण का बिन्दु शहरफाटक है। 4. यह मार्ग बनाये जाने में जनप्रतिनिधियों/ग्रामवासियों की अनापत्ति है।	1. वैकल्पिक लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से मुख्यालय पहुॅचने हेतु दूरी 5 कि0मी0 अधिक की दूरी तय करनी होगी। 2. वृक्षों का पातन कम होगा। 3. वैकल्पिक मार्ग जनपद नैनीताल के अंतर्गत आता है। 4. यह मार्ग बनाये जाने में जनप्रतिनिधियों/ग्रामवासियों को आपत्ति है।
2	बिन्दु संख्या 3 के प्रतिउत्तर में ग्राम 'Damar' अभी तक के०एम०एल० पर अंकित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि ग्राम 'Damar' को के०एम०एल० फाईल पर अंकित करने का कष्ट	संशोधित के0एम0एल0 ऑनलाईन पार्ट । के बिन्दु सं0 सी0 में अपलोड कर ली गयी है।	

	करें।	
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मार्ग की चौड़ाई को 7 मी0 तक सीमित कर संशोधित **enumeration list of trees** इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना ली गयी है। गणना सूची पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 56 में अपलोड कर ली गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्न–वृक्षों की सूची।</u>

भवदीय,

19-04-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

पत्रांक /7सी0 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।